द्विवर्षीय डी॰एल॰एड॰ प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा 2025 हेतु चयनित (औपबंधिक) अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के पश्चात् प्रवेश हेतु दिशा–निर्देश

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल द्वारा दिनांक 22 नवम्बर, 2025 को आयोजित डी॰एल॰एड॰ प्रवेश परीक्षा 2025 का परीक्षाफल अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर औपबंधिक रूप से घोषित किया गया है। राज्य स्तरीय काउंसलिंग के पश्चात् चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु जनपद/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आवंटित किया गया है। अभ्यर्थियों को प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को आवंटित जनपद में द्विवर्षीय डी॰एल॰एड॰ प्रशिक्षण में प्रवेश संबंधी दिशा–निर्देश निम्नवत हैं–

1. द्विवर्षीय डी॰एल॰एड॰ 2025 के प्रशिक्षण हेतु प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 02 फरवरी, 2026 से 09 फरवरी, 2026 तक समस्त जनपदों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में सम्पादित की जाएगी। द्विवर्षीय डी॰एल॰एड॰ प्रशिक्षण 2025 हेतु प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएँ विधिवत संचालित किए जाने हेतु सूचना पृथक से अवगत कराई जाएगी।
2. अभ्यर्थी आवंटित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु उक्त तिथि में अनिवार्यतः उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा उसका प्रवेश हेतु कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
3. प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को समस्त शैक्षिक अर्हता एवं अन्य (आरक्षण संबंधी) से संबंधित समस्त प्रमाणपत्रों की मूल प्रति तथा दो–दो छायाप्रति स्वहस्ताक्षरित, दो नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ एवं उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल की विज्ञप्ति में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता एवं अन्य से संबंधित समस्त प्रमाणपत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करने होंगे, जिनका विवरण निम्नवत् है–

क्र॰सं॰	अभिलेख
1	1. हाईस्कूल परीक्षा का अंकपत्र । 2. हाईस्कूल परीक्षा का प्रमाण–पत्र। 3. इण्टर परीक्षा का अंकपत्र। 4. इण्टर परीक्षा का प्रमाण–पत्र। 5. स्नातक परीक्षा के प्रत्येक वर्ष/सेमेस्टर परीक्षा के अंकपत्र। 6. स्नातक परीक्षा का प्रमाण–पत्र।
2	SC/ST/OBC/EWS श्रेणी के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र।
3	DFF/PH/ Ex.Sol./ORPHAN उपश्रेणी के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र।

4	RA (राज्य आंदोलनकारी– स्वयं अथवा आश्रित) उपश्रेणी के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र, (निर्धारित प्रारूप– 01 एवं प्रारूप– 02 पर)।
5	कुशल खिलाड़ी उपश्रेणी के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र
6	उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल की विज्ञप्ति संख्या उ0वि0शि0प0 / डी0एल0एड0प्र0प0– 2025 / विज्ञप्ति 01 / 326–330 / 2025–26, दिनांक 06 सितम्बर, 2025 के अनुसार एवं विवरणिका के अनुसार वांछनीय प्रमाणपत्र। (क) स्थाई निवास अथवा मूल निवास प्रमाणपत्र। (ख) नियोक्ता द्वारा जारी (अभिभावक / स्वयं का) सेवा / कार्यरत होने का प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्र का प्रारूप संलग्न है)
7	1. डी॰एल॰एड॰ प्रवेश परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र । 2. आधार कार्ड अथवा कोई अन्य फोटो युक्त वैध आई॰डी॰।
8	दो पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ।

4. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रमाणपत्र सत्यापन होने तक सभी अभ्यर्थियों का प्रवेश औपबन्धिक माना जाएगा।
5. अभ्यर्थी प्रवेश के समय मुख्य चिकित्सा अधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाणपत्र तथा अंतिम संस्था से प्राप्त किया गया चरित्र प्रमाणपत्र व अन्य दो राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त नवीनतम चरित्र प्रमाणपत्र जो छः माह से अधिक पुराने न हों, प्रस्तुत करेंगे। इस आशय का प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करेंगे कि अभ्यर्थी पर वर्तमान में मा॰ न्यायालय में कोई भी वाद योजित नहीं है।
6. प्रवेश के समय अभ्यर्थी प्रथम वर्ष का शुल्क रु॰ 35,000.00 (पैंतीस हजार रुपये मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट संबंधित **प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान** के पदनाम से जमा करेंगे।
7. **जिन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चम्पावत आवंटित किया गया है, वे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पिथौरागढ़ में प्रवेश हेतु उपस्थित होंगे।**

(पदमेन्द्र सकलानी)
अपर निदेशक
एस॰सी॰ई॰आर॰टी॰ उत्तराखण्ड
देहरादून

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तराखण्ड
State Council of Educational Research and Training, Uttarakhand
Tapovan Road, Nalapani, Dehradun
Phone: 0135-2789655 Fax: 0135-2789656, Website: www.scert.uk.gov.in
E-mail: scertuk@gmail.com, scert_ua@rediffmail.com

पत्रांक : शि॰शि॰ सेवापूर्व/ 17-18 /दो–I (92)/2025–26 दिनांक 01 अप्रैल 2026

द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा 2025 हेतु मुख्य सूची (औपबन्धिक) एवं प्रतीक्षा सूची (औपबन्धिक) से चयनित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रकिया पूर्ण किये जाने तथा प्रतीक्षा सूची हेतु आयोजित राज्य स्तरीय काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को राज्य स्तरीय काउंसलिंग में प्रतिभाग किये जाने सम्बन्धी सूचना ।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद(एस0सी0ई0आर0टी0) उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा **द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2025 प्रवेश परीक्षा में मुख्य सूची एवं प्रतीक्षा सूची (औपबन्धिक) से चयनित ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा जनपद आवंटन के उपरान्त अपरिहार्य परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रवेश प्रकिया पूर्ण नहीं की गयी तथा ऐसे अभ्यर्थी जो प्रतीक्षा सूची से चयनित अभ्यर्थियों के लिए पूर्व में आयोजित राज्य स्तरीय काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे,** को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए ऐसे सभी अभ्यर्थियों को सूचित करते हुए दिनांक 4 अप्रैल 2026 को परिषद में उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाता है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को वर्तमान स्थिति के अनुसार जनपद वार,वर्गवार,श्रेणीवार रिक्त सीटों के सापेक्ष ही जनपद आवंटन प्रकिया सम्पन्न की जायेगी। अभ्यर्थी के वर्ग व श्रेणी में सीटों की अनुपलब्धता की दशा में जनपद आवंटन हेतु अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नही होगा । उक्त से सम्बन्धित विस्तृत सूचना उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल की वैबसाइट www.ubse.uk.gov.in प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय देहरादून की वेबसाइट www.schooleducation.uk.gov.in तथा एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड की वेबसाइट www.scert.uk.gov.in पर उपलब्ध है ।

भवदीय
1.4.26

(पदमेन्द्र सकलानी)
अपर निदेशक
एस॰सी॰ई॰आर॰टी॰ उत्तराखण्ड
देहरादून

पृ॰सं॰: शि॰शि॰ सेवापूर्व/ 17-18 /दो–I (92)/2025–26 दिनांक – उक्तांकित्।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान सम्पादक,अमर उजाला/दैनिक जागरण/हिन्दुस्तान को इस निर्देश के साथ कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को 10X7 सेमी॰ के साइज में अपने लोकप्रिय दैनिक सामाचार पत्र के उस पृष्ठ पर प्रकाशित करेंगे जिसका प्रचार–प्रसार पूरे राज्य में है। विज्ञप्ति प्रकाशित होने के बाद जिला सूचना अधिकारी से राजकीय दरों पर बिल प्रमाणित कर दो प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
2. मुख्य शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद उत्तराखण्ड एवं प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति के व्यापक प्रचार–प्रसार के दृष्टिगत अपने जनपद की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

1.4.26
अपर निदेशक
एस॰सी॰ई॰आर॰टी॰उत्तराखण्ड
देहरादून